प्रेस नोट **30/11/2024**

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50 हजार का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार-

अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ लखनऊ एवं थाना कोपागंज पुलिस की संयुक्त टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 29.11.2024 को कटिहार बिहार से थाना कोपागंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 239/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में फरार 50 हजार का इनामिया वांछित अभियुक्त रतन कुमार सोनकर पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी मठियाटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ (हाल पता- लरकनियाटोला कोतवाली नगर कटिहार बिहार) को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद मोबाइलफोन बरामद हुआ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. रतन कुमार सोनकर पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी मठियाटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ।

दुष्कर्म मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.11.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर इन्दारा चट्टी के पास से मु0अ0सं0 321/24 धारा 376(2)(एन),506 भादवि व धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रांश उर्फ प्रियांशु पुत्र अखिलेश कुमार निवासी नउआडीह मंसुरपुर बनपोखरा थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक कोपागंज श्री नवल किशोर सिंह, का0 मंजीत कुमार, का0 ज्ञानचन्द थाना कोपागंज जनपद मऊ।

04 वारण्टी गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.11.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त पारस यादव पुत्र त्रिवेणी यादव निवासी छेदापुरा थाना दक्षिणटोला व थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण सुबाष राजभर पुत्र छांगुर राजभर निवासी कछिया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ , मतिया देवी पत्नी जयनाथ निवासी बीबीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ तथा थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त हरिन्द्र पुत्र संतु निवासी बडी देवरिया थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एक दोषसिद्ध अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा अवधि व ₹1,000 के अर्थदंड से किया गया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-11-2024 को मु0अ0सं0 154/1999 धारा 323/325/504/506 भादवि0 थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त धारा यादव पुत्र छांगुर यादव निवासी खडीचा थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा अवधि तक सजा एवं ₹1,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।